न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–403/13

01. रिद्धिनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी पण्डितजी का फार्म राजश्री रिसोर्टस के सामने, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. रामकरण पुत्र जोरा जाति गुर्जर,
02. रामपाल पुत्र जोरा जाति गर्जर, निवासीयान बनवाडा तहसील पीपलू, जिला टोंक राजस्थान।
03. पोखर उर्फ रोडू पुत्र श्री लक्ष्मण जाति गुर्जर,
04. सूरजकरण,
05. कजोड़,
06. श्योनारायण,
07. छोगालाल,
08. रामलाल,
09. मोरपाल पुत्रान भूराज जाति गुर्जर, निवासीयान बनवाडा तहसील पीपलू, जिला टोंक राजस्थान।
10. मांगीलाल पुत्र भूरा, जाति गुर्जर निवासी भापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
11. सरपंच ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
12. तहसीलदार फागी जिला जयपुर, राजस्थान।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.11.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के आदेश दिनांक 26.12.2012 (प्रकरण संख्या 4/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1139 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1140 रकबा 3 बीघा राजस्व ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसे अपील में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है उक्त वादग्रस्त भूमि के श्योबक्स खातेदार काश्तकार थे जिनकी जानिब से एक पुत्र भुवाना व एक पुत्री गणेशी का जन्म हुआ, भुवाना लाऔलाद फौत हो गया तथा गणेशी की तीन पुत्र मोहरू, भूरा व नानगा हुऐ तथा मोहरू के रामचन्द, रामनाराण, सीताराम व जडाव हुऐ तथा भूरा के मांगीलाल व पुत्री गलखु पैदा हुई तथा नानगराम लाऔलाद फौत हो गया। उन्होने कथन किया है श्योबक्स के देहान्त के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण अकेले भुवाना के नाम से ही तस्दीक हो गया था लेकिन

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनकी बहिन गणेशी के साथ ही भुवाना रहते थे इसिलये उस विरासत के नामन्तरकण को कभी गणेशी द्वारा चुनौती नही दी गई क्योंकि भुवाना अविवाहित थे तथा लाऔलाद ही खत्म हुए थे एवं भुवाना ने अपने जीवनकाल में ही अपनी बहिन गणेशी के पुत्र भूरा को गोद ले लिया था तथा भूरा के देहान्त के पश्चात् मांगीलाल भूरा का एकमात्र पुत्र भुवाना का वारिसा हुआ जो मौजूदा अपील मे रेस्पोडेन्ट संख्या 10 है तथा भुवाना की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 06.01.2007 तस्दीक किया गया उससे पूर्व तहसीलदार के समक्ष गणेशी के अन्य वारिसों द्वारा अनापत्ति व सहमति प्रदान की गई तथा तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाये थे, कि भुवाना का एकमात्र वारिस मांगीलाल ही है क्योंकि मांगीलाल के पिता भुरा भुवाना के गोद चले गये थो तथा भुवाना मांगीलाल व भूरा के साथ ही रहते था तथा उन्होने ही उसकी सेवा सुश्रुषा की थी तथा भुवाना की मृत्यु के पश्चात् मांगीलाल के पिता भूरा के ही पगड़ी का दस्तूर किया गया था इसलिये मांगीलाल के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को भुवाना द्वारा छोड़ी गई उपरोक्त सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही है इसलिये मांगीलाल के हक में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे तथा उपरोक्त के पश्चात् ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर भुवाना की विरासत की जांच की तथा ग्राम पंचायत के पंच व ग्राम के मौजिज व्यक्तियों को इस हेतु अधिकृत किया तथा भुवाना के अन्य वारिसों के अनापत्ति के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 495 दिनांक 06.01.2007 को ग्राम पंचायत मौहब्बतपुरा द्वारा मांगीलाल पुत्र भूरा को स्व. भुवाना का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हुए तस्दीक किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 10 मांगीलाल पुत्र भूरा ने धन की जायज आवश्यकता बताते हुए अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 15.03.2007 को बैचान कर दिया तथा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करली तथा विक्रय पत्र को पंजीयन हेतु उप पंजीयक फागी कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया जिसे उप पंजीयक फागी ने दिनांक 15.03.2007 को ही पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 157 में पृष्ठ सख्या 64 क्रम संख्या 20070000795 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक जिल्द संख्या 430 के पृष्ठ संख्या 106 से 113 पर चस्पा किया गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट ने नामान्तररण तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी में अंकन कर दिया गया इस प्रकार अपीलान्ट उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने बदनियतीपूर्वक अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया तथा सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया गया जबकि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किये जा सकते है जब तक कि उसे सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नही कर दिया जाता, उपरोक्त कानूनी स्थिति की अवहेलना कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित दिनांक 26.12.

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2012 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 व 9 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी बाबत वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहॉ रामनारायण बनाम रामचन्द्र चल रह था जिसमें मांगीलाल भी प्रतिवादी संख्या 4 था उक्त वाद पत्र रामनाराण ने दिनांक 25.08.2006 को खारिज करवा लिया है इस प्रकार वाद के खारिज होने से मांगीलाल का हक समाप्त हो गया है तथा विवादग्रस्त आरांजी को लेकर ही एक अन्य वाद रामनारायण बनाम सरकार, उपखण्ड अधिकारी फागी के यहॉ विचाराधीन है जिसमें अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर रखी है उक्त आदेश के विपरित भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील विचाराधीन है, उक्त अपील मे स्थगन आदेश के रहते हुये सरपंच ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा ने अविवेकपूर्ण तरीके से कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुऐ एवं पद का दुरूपयोग करते हुऐ नामान्तरकरण केवल एकमात्र मांगीलाल पुत्र भूरा के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया अवैधानिक हैं। उन्होने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने उत्तराधिकार सम्बन्धित विवाद को सुनने का प्रयास किया है तथा उत्तराधिकारी के प्रश्न को भी लगभग तय किया है जो कि स्पष्टतया कानूनी प्रावधानो के विपरित है, उत्तराधिकारी सम्बन्धी कार्यवाही का निस्तारण ग्राम पंचायत कानूनन नही कर सकती है, भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक विवादित नामान्तरकरण को निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को नही है, इस प्रकार ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 06.01.2007 निरस्तनीय था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विभिनन राजस्व न्यायालयों में घोषणा सम्बन्धित नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण की प्रक्रिया कानूनी रूप से सम्पादित नही की जा सकती है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल के विभिन्न निर्णयों के मुताबिक भी नियमित वाद के रहते हुए नामान्तरकरण की प्रक्रिया अमल में नही लाई जा सकती है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने न तो पक्षकारों को सुना और न ही कोई नोटिस दिया आनन–फानन तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को लाभ पहुॅचाने के आशय से त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि अनुकूल नही होने से ग्राम पंचायत का निर्णय विधि के प्रावधानों विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। उन्हाने आगे कथन किया है कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सांभरलेक के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.09 के अनुसार न्यायालय ने नामान्तरकरण में वर्णित आराजी मृतक भुवाना पुत्र श्योबक्स क नाम दर्ज 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

खोले जाने हेतु उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई भी वैधानिक त्रुटि नही की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 मांगीलाल पुत्र भूरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.2007 को क्रय की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्षकार था लेकिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है, ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का बिना सुनवाई का अवसर दिया ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के निर्णय दिनांक 26.12.2012 के अनुसरण में अपीलान्ट को भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर